Order sheet [Contd]

case No.clam 42/2017

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

10.02.**20** सिप्ठमकरण

अन्य

क्लेम प्रकरण कमांक-42/17 श्रीमती किरन एवं अन्य विरूद्ध वीर सिंह एवं

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत ।

आवेदिका कं० ०१ स्वयं तथा आवेदिका कं० ०२ अनुष्का अवयस्क सरपरस्त मां श्रीमती किरन सहित श्री डी०एस० गुर्जर अधिवक्ता उप०।

अनावेदक क्रमांक 01 व 02 सहित श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता उप0।

उभयपक्ष की ओर से लोक अदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया। आवेदक एवं अनावेदक द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किए गये। आवेदिका श्रीमती किरन को श्री दिनेश गुर्जर अधिवक्ता द्वारा तथा अनावेदकगण वीर सिंह एवं मवासीलाल को श्री मुकेश कुशवाह अधिवक्ता द्वारा पहचाना गया।

प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि अनावेदकगण मवासीलाल एवं वीर सिंह, आवेदिका श्रीमती किरन के पति एवं आवेदिका कुमारी अनुष्का के पिता महेश को मोटर वाहन दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु के लिये आवेदिकागण को राशि रूपये 2,50,000/—(दो लाख पचास हजार) रूपये अदा करेंगे। उभयपक्ष ने यह भी व्यक्त किया है कि अनावेदकगण के द्वारा 2,45,000/—(दो लाख पैतालीस हजार) रूपये की राशि अजा अदा कर दी गयी है। शेष 5,000/—रूपये की राशि अदा करना है।

उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया। राजीनामा विधिवत प्रकट होता है। अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवदेक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:—

- 1. आवेदिका श्रीमती किरन के पित एवं आवेदिका कुमारी अनुष्का के पिता महेश की दुर्घटना में आई चोटों से हुयी मृत्यु के लिए क्षितपूर्ति स्वरूप आवेदिकागण को शेष राशि 5,000 / —(पांच हजार) रूपये दो माह की अविध में अदा करें। विहित इस अविध में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अविध के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें।
- 2. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 5,000 / —(पांच हजार) रूपये जमा होने पर आवेदिका श्रीमती किरन को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें।
- 3- उभय पक्ष अपना-अपना वाद वहन करेंगे ।
- 4. अधिवक्ता शुल्क २,००० / —रूपये लगाया जावे।

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
	प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।	
ELIA!	(रविरमन बाजपेयी) (मुकेश कुशवाह) (मोहम्मद अजहर) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, खण्डपीठ क. 19	
(SILEIGO)		
	To A Tello Ball	
	STINGTON PARENT AND STATE OF S	
	ELIKISI PAL	

Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
Again ain	necessayry

A Presiding A Pres ALIMANIA PATEIRO BUILTIN BOS BUILTIN BOS BUILTIN BOS BUILTIN BUILTIN BUILTIN BUILTIN BUILTIN BUILTING BUILTING